राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2072/2002

इकबाल मोहम्मद शेख –अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :

<u>**उपस्थित –**</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री हरि बारेठ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि नियुक्ति मेल नर्स के रूप में वर्ष 1992 में हुई थी। मेल नर्स के रूप में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात अपीलार्थी का चयन बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हुआ था, जो पाठ्यक्रम दो वर्ष का था। उक्त कोर्स की परीक्षा सितंबर, 2001 में आयोजित की गई थी। अपीलार्थी 5 परीक्षा पत्रों में से 1 परीक्षा पत्र Deputation Duty हजयात्रा में होने के कारण नहीं दे पाया। एक बकाया पेपर की परीक्षा अक्टूबर, 2001 में एक वर्ष देरी से हुई थी। इस कारण से अपीलार्थी को अपनी बेसिक ट्रेनिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स पूरा करने में समय लगा। अपीलार्थी का रिजल्ट 26.04.2002 को प्रेषित हुआ, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण रहा। विश्वविद्यालय द्वारा बकाया पेपर की परीक्षा समय पर नहीं करवाने के कारण अपीलार्थी को कोर्स पास करने में देरी हुई। अपीलार्थी को बीएससी उत्तीर्ण करने पर वेतन वृद्धि का परिलाभ दिया जाना था, जो नहीं दिया गया ।
2. प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी ने परीक्षा 24.05.2002 को पूरी की। उससे पूर्व भी नोटिफिकेशन दिनांक 06.05.2002 के द्वारा अग्रीम वेतनवृद्धि किये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। अतः लाभ नहीं दिया गया।
3. हमारें मत में अपीलार्थी को केवल नियमानुसार अग्रीम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त हो सकता है। कोर्स पूरा करने पर अग्रीम वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने का प्रावधान चूंकि दिनांक 06.05.2002 को समाप्त किया जा चुका था

और अपीलार्थी ने इसके पश्चात डिग्री प्राप्त की थी। इस कारण अपीलार्थी को अग्रीम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना नियमानुसार है। आलौच्य आदेश दिनांक 31.07.2002 में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

4. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)